छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 101/वि.स./सू.शा./2025 रायपुर, दिनांक 27.01.2025

फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कार्य हेतु वर्ष 2025–2026 की अवधि के लिए फोटोग्राफर एवं विडियोग्राफर को सूची बद्ध किया जाना है।

उक्त कार्य करने के इच्छुक संस्थान/ व्यक्ति अपने कार्य अनुभव के साथ फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की दरें सील बंद लिफाफे में विधानसभा सचिवालय में कार्यालयीन दिवसों पर सोमवार, **दिनांक 17 फरवरी, 2025** को अपरान्हः **4.00 बजे** तक स्वयं जमा कर सकते हैं। निविदा की शर्ते कार्यालयीन दिवस में **11.00 से 4.00 बजे** तक कार्यालय समय पर सूचना शाखा एवं विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा। निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

विधान सभा सचिवालय

फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी हेतु शर्तें.

1. निविदा में फोटोग्राफी हेतु पासपोर्ट पोस्टकार्ड 5'' x 7'', 6'' x 8'', 8'' x 10'', 10'' x 12'', 12'' x 15'', 12'' x 24'', 12'' x 36'', 15'' x 20'', 20'' x 25'', 24'' x 30'', आकार के छायाचित्रों एवं **स्केन से प्रिंट की ओरिजनल प्रिंट** एवं **रीप्रिंट** की दरों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।
2. सचिवालय के उपयोग हेतु 5'' x 7'' आकार के छायाचित्र एलबम में लगाकर दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता के एलबम की दरें छायाचित्रों की संख्या के अनुसार भी प्रस्तुत करनी होगी।
3. पैंन ड्राइव संधारण हेतु पैंन ड्राइव की दरों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें ।
4. निविदा में 100 से 300 व्यक्तियों के समूह छायाचित्र के लिए 12'' x 15'', 12'' x 24'', 12'' x 36'', 15'' x 20'', 20'' x 25'', 24'' x 30'', आकार के छायाचित्र पैनारोमिक सिस्टम कैमरे से कराना होगा एवं पैनारोमिक सिस्टम कैमरे की दरों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।
5. फोटोग्राफर को कार्यक्रम की सूचना देने पर कार्यक्रम स्थल पर 30 मिनट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
6. कार्यक्रम के कव्हरेज के बाद समाचार पत्रों में जारी किये जाने वाले छायाचित्रों को तत्काल अनुमोदन उपरांत सचिवालय में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर डिस्क/ड्राईव में अपलोड करना होगा, शेष सभी छायाचित्र पेन ड्राईव में कार्यक्रम के अगले दिन उपलब्ध कराने होंगे.
7. आवश्यकता पड़ने पर फोटोग्राफ के रीप्रिंट भी तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
8. प्रत्येक कार्यक्रम कव्हरेज के बाद उसके छायाचित्र व वीडियो के पैन ड्राइव/हार्डडिस्क संबंधित संस्था को नम्बरिंग कर संधारित करना होगा, जिससे आवश्यकतानुसार उन छायाचित्रों के रीप्रिंट तैयार कराये जा सकें उक्त कार्यक्रमों के छायाचित्रों, वीडियो की प्रति पेन ड्राईव में सचिवालय की सूचना शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के लिए रायपुर में किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा.
10. फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के लिए संबंधित फर्म/व्यक्ति को स्वयं के वाहन से कव्हरेज स्थल पर पहुंचना होगा.
11. विडियोग्राफी के लिए स्वीकृत दरों पर डिजीटल कैमरे से प्रतिदिन न्यूनतम 8 घंटे की विडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा.
12. फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी के बाद किसी भी फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी के अंश बिना विधान सभा सचिवालय की अनुमति के प्रेस एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया या अन्य को देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
13. विधान सभा सचिवालय तथा मान. विधान सभा अध्यक्ष के कार्यक्रमों के समस्त फोटोग्राफ एवं वीडियो की पैन ड्राईव सहित हार्डडिस्क का सर्वाधिकार विधान सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा.
14. छायाचित्रों की पैंन ड्राईव एवं हार्डडिस्क उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
15. आगामी अनुबंध होने तक संबंधित संस्था को अनुबंध की वर्तमान स्वीकृत दरों पर ही कार्य करना होगा.
16. निविदा प्रपत्र के साथ विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. का प्रमाण पत्र स्व. हस्ताक्षरित संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
17. निविदा प्रस्तुतकर्ता को शासकीय विभाग में कार्य करने का लगभग 05 वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
18. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबंध किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विधान सभा सचिवालय के पास रहेगा ।

28.1.2025

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर

19. छायाचित्रों / विडियोग्राफी की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए.
20. विभिन्न अवसरों पर सचिवालय में होने वाले समूह छायाचित्रों के लिए निविदा प्रस्तुतकर्ता का स्वयं का उच्च तकनीक युक्त फोटो कैमरा होना चाहिए।
21. कार्यक्रम स्थल पर फोटोग्राफर/विडियोग्राफर के विलंब से पहुंचने एवं फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी की गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होने पर अनुबंध कभी भी रद्द किया जा सकेगा.
22. विधानसभा सचिवालय द्वारा संस्था को किसी भी कार्य हेतु अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
23. विधान सभा सचिवालय के कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम स्थान निर्धारण सहित अन्य आवश्यक निर्णय लेने का सर्वाधिकार विधानसभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।
24. कार्य की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए रायपुर शहर स्थित संस्था ही शामिल हो सकेगी।
25. कार्यों के निष्पादन हेतु समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन संबंधित संस्था के लिए बाध्यकारी रहेगा।
26. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पास सुरक्षित होगा।

––0––

28/1/2021

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर